न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सीकर

सतीश कुमार बनाम तहसीलदार सीकर

किस्म मुकदमा – आवेदन अ0धारा 128 रा0भू0रा0 अधि0 मु.न. 53/ वर्ष 2025

आज्ञा–पत्र

प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता श्री सुरेन्द्र सिंह शेखावत द्वारा न्यायालय हाजा के समक्ष उपस्थित होकर प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत किया। कार्यालय रिपोर्ट प्राप्त की गई। प्रार्थना–पत्र को दर्ज रजिस्टर किया जावे। अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस जरिये रजिस्टर्ड ए.डी तलब किया जावे। तहसीलदार सीकर को रिपोर्ट हेतु तहरीर जारी हो। पत्रावली आ. ता.पेशी 02.05.2025 को पेश हो।

उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी सीकर
सीकर (राज.)

पत्रावली पेश हुई। वकील/ उभयपक्ष हाजिर। पीठासीन अधिकारी अन्य कार्य में व्यस्त है। पत्रावली पूर्वादेशानुसार
दिनांक 12/5/25 को पेश हो।

पत्रावली पेश। अधि. प्रार्थी हाजिर। रिपोर्ट तहसीलदार प्राप्त। बहस अधि. सुनी गई। आवेदन [illegible] के अनुसार होने पर आवेदन को स्वीकार किया जाता है। निर्णय अलग से लिखा जाकर शामिल पत्रावली किया। पत्रावली [illegible] होकर [illegible] हो। दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आज मेरे हस्ताक्षर से जारी किया गया।

उपखण्ड अधिकारी
सीकर (राज.)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सीकर जिला सीकर (राज0)

पीठासीन अधिकारी– निखिल कुमार (आर.ए.एस.)

प्रार्थना–पत्र मुकदमा नम्बर :– **53 / 2025**
तारीख दायर :– **16.04.2025**

1. सतीश कुमार पुत्र मखनलाल उम्र 31 वर्ष जाति ब्राह्मण निवासी ग्राम गुंगारा तहसील व जिला सीकर

––प्रार्थी––

बनाम

1. तहसीलदार सीकर

––अप्रार्थी––

प्रार्थना–पत्र करवाये जाने पत्थरगढी अन्तर्गत धारा 128 भू–राजस्व अधिनियम

उपस्थित :–

अधिवक्ता प्रार्थीः– श्री सुरेन्द्र सिंह शेखावत

–: निर्णय :–

दिनांक :12.05.2025

प्रार्थी की ओर से जरिये अधिवक्ता आवेदन पत्थरगढी अन्तर्गत धारा 128 भू–राजस्व अधिनियम पेश किया गया जिसका संक्षेप में विवरण है कि वाके ग्राम धर्मशाला पटवार हल्का बेरी तहसील व जिला सीकर की तन में भूमि खसरा नम्बर 3531 / 1252 रकबा 0.7936 हैक्ट, खसरा नम्बर 3532 / 1252 रकबा 0.0080 हैक्ट, खसरा नम्बर 3535 / 1248 रकबा 0.0080 हैक्ट कुल किता 03 कुल रकबा 0.8096 हैक्ट उपस्थित है जो कि प्रार्थी की खातेदारी की भूमि है।

प्रार्थी को अपनी भूमि का सीमाज्ञान व पत्थरगढी करवाया जाना आवश्यक रहने के कारण प्रार्थी ने अपनी भूमि की सीमाज्ञान करवाने हेतु तहसीलदार सीकर के समक्ष आवेदन प्रस्तुत किया जिस पर प्रार्थी की भूमि का दिनांक 04.11.2024 को सीमांकन किया गया जिस पर खसरा नम्बर 3531 / 1252 की उत्तरी सीमा में तारबंदी की हुई होना रिकॉर्ड के अनुसार सही होना पाया गया जिसके आधार पर प्रार्थी की भूमि की पत्थरगढी करवाया जाना उचित आवश्यक एवं न्याय संगत है जिस कारण न्यायालय हाजा के समक्ष आवेदन प्रस्तुत किया जाना आवश्यक हो गया है। अतः आवेदन प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थना–पत्र स्वीकार कर प्रार्थी के कब्जे, काश्त एवं खातेदारी की भूमि खसरा नम्बर 3531 / 1252 वाके ग्राम धर्मशाला तहसील व जिला सीकर की भूमि

उपखण्ड अधिकारी
सीकर (राज.)

पर सीमाज्ञान की रिपोर्ट के अनुसार पत्थरगढी किये जाने के आदेश फरमाये जाने की कृपा करें।

प्रार्थना–पत्र प्राप्त होने पर रिपोर्ट राजस्व लिपिक ली जाकर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया । तहसीलदार सीकर से प्रकरण के सम्बन्ध में वस्तुस्थिति की रिपोर्ट चाही गई। रिपोर्ट तहसीलदार क्रमाकः– 1727 दिनांक 05.05.2025 द्वारा प्रकरण में वांछित रिपोर्ट भिजवाई गई। रिपोर्ट तहसीलदार के अनुसार भूमि खसरा नम्बर 3531/1252 रकबा 0.7936 हैक्ट, खसरा नम्बर 3532/1252 रकबा 0.0080 हैक्ट, खसरा नम्बर 3535/1248 रकबा 0.0080 हैक्ट कुल किता 03 कुल रकबा 0.8096 हैक्ट वाके ग्राम धर्मशाला पटवार हल्का बेरी तहसील व जिला सीकर की भूमि प्रार्थी की खातेदारी की भूमि है। उक्त खसरा नम्बर का सीमाज्ञान दिनांक 04.11.2024 को करवाया गया जिस पर खसरा नम्बर 3521/1252 की उत्तरी सीमा में तारबंदी की हुई होना रिकॉर्ड के अनुसार सही होना पाया गया एवं दक्षिणी सीमा मौके पर खुद–बुर्द की हुई है जिसके आधार पर प्रार्थी की भूमि की पत्थरगढी करवाया जाना उचित है। उक्त खसरा नम्बर पर माननीय न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी, सीकर के मुकदमा संख्या 61/2024 बउनवानी नोरंगा बनाम सतीश कुमार में रिकॉर्ड की यथास्थिति बनाये रखे जाने बाबत् स्थगन जारी किया हुआ है।

बहस अधिवक्ता एकपक्षीय सुनी गई व बहस पर मनन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का अध्ययन किया गया। अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा भूमि खसरा नम्बर 3531/1252 रकबा 0.7936 हैक्ट वाके ग्राम धर्मशाला पटवार हल्का बेरी तहसील व जिला सीकर की सीमा पर पत्थरगढी करवाने हेतु निवेदन किया गया है। विवादित भूमि प्रार्थी की एकल खातेदारी की भूमि है तथा सीमाज्ञान व सीमा चिन्ह कायम करवाया जाना प्रार्थी का हक व अधिकार है। रिपोर्ट तहसीलदार अनुसार खसरा नम्बर 3531/1252 का पूर्व में दिनांक 04.11.2024 को सीमाज्ञान करवाया जा चुका है। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत आवेदन में वर्णित तथ्यों व आवेदक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों से आवेदन की पुष्ट व प्रमाणित है जिसे स्वीकार किये जाने योग्य है।

<u>आदेश</u>

प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र स्वीकार कर तहसीलदार सीकर को आदेशित किया जाता है कि ग्राम धर्मशाला पटवार हल्का बेरी में भूमि खसरा नम्बर 3531/1252 रकबा 0.7936 के चारों ओर सीमाज्ञान दिनांक 04.11.2024 के अनुसार पडोसी पक्षकारान की उपस्थिति में नियमानुसार शुल्क जमा करवाकर सीमाचिन्ह यानी पत्थरगढी करवायें। तहसीलदार सीकर को कमिश्नर नियुक्त किया जाता है तथा कमिश्नर फीस रू 1000 वक्त पत्थरगढी प्रार्थी वहन करेंगें। पत्थरगढी के दौरान मौके पर अन्य किसी का कब्जा पाये जाने पर कब्जा जरिये पत्थरगढी नहीं हटाया जावें तथा सक्षम न्यायालय में प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत करने बाबत् सूचित किया जावें। माननीय न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी, सीकर के मुकदमा संख्या 61/2024 बउनवानी नोरंगा बनाम सतीश कुमार

उपखण्ड अधिकारी
सीकर (राज.)

द्वारा विवादित भूमि खसरा नम्बर 3531/1252 रकबा 0.7936 हैक्ट वाके ग्राम धर्मशाला पटवार हल्का बेरी तहसील व जिला सीकर के सम्बन्ध में रिकॉर्ड की यथास्थिति बनाये रखने बाबत् स्थगन जारी किया गया है। पत्थरगढी की सम्पूर्ण प्रक्रिया में माननीय न्यायालय के उक्त स्थगन आदेश की अक्षरशः पालना की जावें।

निर्णय आज दिनांक 12.05.2025 को सरे इजलास सुनाया गया।

निखिल कुमार (आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी, सीकर
उपखण्ड अधिकारी
सीकर (राज.)